विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / प्रशासन / संस्थापन / 2024 / 99 दिनांक :– 19/12/24

–:: विज्ञप्ति ::–

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के मानदण्डानुसार अर्हता प्राप्तं आवेदकों से आवश्यकता रहने तक अथवा सत्रांत तक जो भी पूर्ववर्ती हो उसके लिए नितांत अस्थाई आधार पर विधि अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में विजिटिंग विद्वान की आवश्यकता है। आवेदन दिनांक 28 / 12 / 2024 समय अपरांन्ह 05.30 बजें तक विभागाध्यक्ष, विधि, अध्ययनशाला, माधव भवन परिसर, विक्रम विश्वविद्यालय, कोठी रोड, उज्जैन को प्रेषित करें।

आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है। आवेदन के साथ रू. 500 / – अक्षरी रूपये पॉच सौ मात्र का आवेदन शुल्क डी.डी. जो कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के पक्ष में अनिवार्यतः प्रस्तुत करे।

विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेब साईट https://www.vikramuniv. ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

क्रं.	विषय	अनुमानित आवश्यकता	अध्ययनशाला
1.	बी.ए. एलएल.बी एलएल.एम. प्लेन, एलएल.एम.साईबर लॉ, एलएल.एम बिजनेसा लॉ	10	विधि अध्ययनशाला

विभागाध्यक्ष
विधि अध्ययनशाला
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

कुलसचिव
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

220NewPage2024

VIKRAM UNIVERSITY, UJJAIN

APPLICATION

FOR CONSIDERATION AS VISITING VIDWAN SESSION 2024-25

1. Subject for which application is being submitted
2. Name and Date of Birth
3. Father's/Husband's Name
4. Mailing/Postal Address
5. Phone No./Mobile phone No.
6. E-mail ID
7. Educational Qualification (From X & class and on words)

S.No. Qualification	pass year	pass % (Grade)	Board Universtiy	Institure College
1. X Class				
2. XII Class				
3.Graducation				
4. post Graducation				
5. M.Phill				
6. Ph.D.				
7. NET				
8. SLAT				
9. JRF/SRF				
10. Others				

8. Details of work experience (Designation, Employers, Duration etc)

(a)

(b)

(c)

(d)

9. Details of Reserch Publications :

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

10. Details of Participation in workshops/seminars/symposiums/Refresher course/orientation course/ other academic events. (Attech Details if any)

11. Any other Relevant Information :

Place :
Date :

(Signature)
Name :
Address :

सामान्य निर्देश

1. संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं म.प्र. शासन अनुसार रहेगी।
2. विजिटिंग विद्वान किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे।
3. विजिटिंग विद्वानों का आमंत्रण पाठ्यक्रम में आवश्यकता रहने तक अथवा संत्रात तक जो भी पूर्ववर्ती हो, अवधि के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
4. विजिटिंग विद्वानों के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए विजिटिंग विद्वान को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उसको व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
5. विजिटिंग विद्वान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त एक साथ दो शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।
6. इस आदेश के अनुसार आमंत्रण की प्रक्रिया माननीय उच्च्य न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के निर्देशों के अध्याधीन होगी।
7. किसी भी स्थिति में नियमित पदस्थापना या नवीन नियुक्ति से पदस्थापना के कारण विजिटिंग विद्वान को कार्यरत नहीं रखा जाएगा।

अर्हता मानदण्ड :

चयन वरीयता का श्रेणी क्रम निम्नानुसार रहेगा :

1. संबंधित विषय में पीएच.डी. एवं नेट/सेट
2. संबंधित विषय में पीएच.डी. अथवा नेट/सेट
3. संबंधित विषय में एम.फिल.
4. न्यूनतम अहर्ता वाले आवेदक (स्नातकोत्तर योग्यताधारी)

टीप : 1 एवं 2 में आवेदक उपलब्ध न होने पर ही 3 व 4 के आवेदकों पर विचार किया जावेगा।

8. अनुभव हेतु अंक :– विजिटिंग विद्वानों को वरीयता देने के लिए उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज एवं सत्यापित अनुभव के किये गये अध्यापन कार्य के लिए देय अधिभार अंको को जोड़कर गणना में लिया जाएगा। ये अंक आवेदक विजिटिंग विद्वान द्वारा आवेदन के समय पोर्टल पर दर्ज किय जाएंगे, जिन्हें असत्य पाए जाने पर कार्यारंभ नहीं कराया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त पत्रक के अनुसार कार्य दिवसों को ही अनुभव के लिए जोड़ा जाएगा। यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि विक्रम विश्वविद्यालय में किए गए शिक्षण कार्य के अनुभव को ही अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा। यह अधिभार अधिकतम 05 वर्ष के अनुभव के लिए 20 अंक तक होगा। एक अकादमिक सत्र में 151 से 220 कालखण्ड में मध्य चार अंक एवं 151–100 कालखण्ड के मध्य तीन अंक 51 से 100 कालखण्ड के मध्य दो अंक एवं 50 एवं उससे कम कालखण्ड होने पर एक अंक दिया जाएगा।
9. समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोडकर) शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार निःशक्तजन अभ्यर्थियों को भी स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।
10. मेरिट अंको की गणना : स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत में से 50 घटाया जाएगा तथा अधिभार जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक ने स्नातकोत्तर में 75 प्रशित अंक प्राप्त किए है, अनुसूचित जाति का है, निः शक्तजन भी है एवं 5 वर्षो का अनुभव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होगे :

स्नातकोत्तर–25 अंक, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए अधिकार 7.5, निःशक्तजन के लिए अधिकार–7.5, अनुभव का अधिभार–20 कुल अंक = 60+40 अंक साक्षात्कार=कुल 100 अंको के आधार पर मेरिट बनाई जावेगी।

11. वरीयता का निर्धारण : सर्वप्रथम बिन्दु 7 के अनुसार चयन श्रेणी की वरीयता मान्य होगी अर्थात श्रेणी 1 के विजिटिंग विद्वान को सर्वोच्च वरीयता होगी। श्रेणी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले विजिटिंग विद्वान को वरीयता दी जाएगी। मेरिट का निर्धारण 100 अकां से होगा।

12. विजिटिंग विद्वानों की आमंत्रण पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा।

13. अध्यापन कार्य करने वाले विद्वानों को प्रति कालांश 500/- का मानदेय दिया जाएगा। इनकी कार्य अवधि पाठ्यक्रम में आवश्यकता रहने अथवा सत्रान्त तक जो भी पूर्ववर्ती हो रहेगी एवं उपस्थिति तथा संतोषप्रद कार्य करने पर प्रतिमाह निम्नानुसार मानदेय दिया जाएगा:- (पाठ्यक्रम आवश्यकतानुसार प्रति कालांश रू. 500/- एक कार्य दिवस में अधिकतम रू. 1500)

मानदेय की गणना की विधि :

कुल मानदेय = संतोषप्रद कार्य की उपस्थिति कालांशों की संख्या 500/-प्रति कालांश

एक से अधिक कालांश अध्यापन करने वाले विद्वान को न्यूनतम 05 घण्टे संबंधित विभाग, अध्ययनशाला संस्थान में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा एवं अध्यापन कार्य के अतिरिक्त विभाग प्रमुख द्वारा सौंपे गये अन्य विभागीय कार्य सम्पन्न करना आवश्यक होगा।

14. विश्वविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत विजिटिंग विद्वान यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा।

15. विजिटिंग विद्वान को सतत अनुशासन बनाए रखना होगा तथा अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

16. विजिटिंग विद्वानो द्वारा सम्पूर्ण सत्र में किए गए पठन-पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित विद्यार्थियों की विभिन्न विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के अर्जित अंको विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन एवं विभाग प्रमुख के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

17. अध्ययनशाला में आमंत्रित विजिटिंग विद्वानों के अध्यापन कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड अपने अधीन संधारित रखेंगे ताकि इसके मूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके।

18. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ विभाग प्रमुख के निर्देशानुसार प्रशासकीय कार्य, अकादमिक एवं पाठयेत्तरकार्यो यथा प्रवेश, परीक्षा छात्रों से संबंधित कार्य, योजनाओं का संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव आदि में विजिटिंग विद्वान सहयोग प्रदान करेंगे।

19. अध्यापन कार्य करने वाले एवं एक कालांश से अधिक विजिटिंग विद्वानों को विभाग में प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घण्टे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। विजिटिंग विद्वानों द्वारा प्रतिसप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त वे टयूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है। विभागाध्यक्ष द्वारा विजिटिंग विद्वानों की कक्षाओं/कार्यो की समय सारिणी इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि उपरोक्तानुसार उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।